Passenger fare from Calcutta to Port Blair

2519. SHRI M. BASAVARAJU: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the full and the half flrst class single passenger fare from Calcutta to Port Blair by the ship Harshavardhana;

(b) what is the age upto which children are not charged fare for journey by the ship between Calcutta and Port Blair; and

(c) what is the age upto which children are charged half fare for the said journey?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI C. M. STEPHEN): (a) The full first class fare of MV HARSHAVARDHANA from Calcutta to Port Blair for single journey is Rs. 513.00 per passenger and half fare is Rs. 256.50 per passenger excluding diet.

(b) One child upto three years and beiow is allowed to travel free. The second child (if any) upto three years and below is given 75 per cent concession over the full fare for the said journey.

(c) Children aged three years and above and upto 10 years are charged half fare.

बच्चों को विदेशों में भेजा जाना

2520. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से सहायता प्राप्त कुछ स्वेच्छिक संगठन अनचाहे बच्चों को विदेशों में भेजते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं, तथा इन्हें किन-किन देशों से कितनी-कितनी सहायता मिलती है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता के रूप में प्रत्येक को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ग) क्या इनमें से कुछ संगठन गैर-कानूनी गतिविधियों में संलग्न हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) अभिभावक और आश्रित अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालयों से आदेश प्राप्त कर कुछ संगठनों द्वारा अभिभावकों के आश्रितों के रूप में बच्चों को विदेशों में भेजा जाता है । उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्राइवेट पार्टियों के मध्य होती है । अतः सरकार के पास ऐसे संगठनों की सूची नहीं है जो कि ऐसे मामलों के लिए न्यायालयों में जाते हैं या वे सहायता प्राप्त करते हैं । चूंकि सक्षम न्यायालयों की आज्ञा से ही विदेशी अभिभावकों के आश्रितों के रूप में बच्चों को विदेशों में भेजा जा सकता है इसलिए गैर-कानूनी रूप से विदेशों में बच्चों के भेजे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Carrying of Night Soil

2521. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state;

(a) the number of States where carrying of night soil is still in practice;

(b) the details of the steps taken to £'top this system;

(c) what is the progress thereof; and